6 दैनिक जागरण पटना, 22 फरवरी 2019

रेरा की जांच में आएगी तेजी कर्मियों की होगी बहाली

राज्य ब्यूरो, पटना : सरकार ने रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार के लिए कर्मियों के 39 पद सृजित किए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग की इस पहल से रेरा की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी। इससे बिल्डरों के प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन से लेकर अपार्टमेंट की जांच में रेरा को मदद मिलेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने गुरुवार को पद सृजन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी।

बता दें कि वर्ष भर से रेरा स्टाफ संकट से जूझ रहा है। यही वजह है कि 992 बिल्डरों की परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन लंबित है। फिर भी रेरा ने 140 से अधिक बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ स्वयं संज्ञान लेकर जवाब तलब किया है। 455 परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया है। 45 से अधिक बिल्डरों के खिलाफ रेरा ने कार्रवाई कर पैसा या फ्लैट पर बुकिंग कराने वाले को कब्जा दिलवाया है। 135 बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ रेरा में सुनवाई चल रही है।

श्रेणी पदों का ब्यौरा

सचिव-एक, विशेष कार्य पदाधिकारी-एक, जनसम्पर्क अधिकारी- एक, वरीय तकनीकी पदाधिकारी- दो, असिस्टेंट इंजीनियर-दो, आर्किटेक्ट-दो, जूनियर इंजीनियर-दो, वित्त नियंत्रक-दो, अकाउंटेंट-दो,ऑडिटर-एक, विधि पदाधिकारी-एक, विधि सहायक-तीन, प्रशासनिक पदाधिकारी -एक, प्रशाखा पदाधिकारी दो, सहायक-छह, आप्त सचिव-छह, उच्चवर्गीय लिपिक-दो और निम्नवर्गीय लिपिक के दो पद सृजित किए गए हैं।

रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले चार सौ से अधिक बिल्डरों से रेरा ने जवाब तलब भी किया है। फर्जीवाड़ा के शिकार पांच सौ से अधिक लोगों के मामले में कार्रवाई लंबित है। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा की पहल से शिकायतकर्ताओं के रुपये वापस भी हुए हैं।